**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता**
**''सामान्य वर्ग''**
**लोक निर्माण विभाग, लखनऊ**

पत्रांक:5585एमटी/60 एमटी/2006 दिनांक-19.07.2006

प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के अधीन राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग, प्रमुख जिला मार्ग व शहरी मार्गो पर रोड साईनेज एवं थर्मो प्लास्टिक द्वारा रोड मार्किंग के कार्यो का सम्पादन कराया जाता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मार्गो पर रोड साईनेज व थर्मो प्लास्टिक द्वारा रोड मार्किंग के सम्बन्ध में 2003 में नवीनतम विशिष्टियॉ जारी की गयी हैं।

उपरोक्त तकनीकी मानकों के परिप्रेक्ष्य में विभागीय अधिकारियों से हुए विचार विमर्श के आधार पर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के मार्गो पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव रोड साईनेज व थर्मो प्लास्टिक द्वारा रोड मार्किंग के कार्य हेतु विशिष्टयॉ इस पत्र के साथ संलग्नक के अनुसार निर्धारित की जाती है।
संलग्न : यथोक्त।

(बद्री विशाल त्रिपाठी)
प्रमुख अभियन्ता
(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लो0नि0वि0, लखनऊ

पत्रांक:दिनांक-19.07.2006
<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

1- प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
2- मुख्य प्राविधिक परीक्षक, लो0नि0वि0, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- महालेखाकार (वर्क्स), इलाहाबाद ।
4- निदेशक, प्रयोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1)/(मु0-2)/परिवाद/(वि0/यां0)/भवन/राष्ट्रीय मार्ग/ विश्व बैंक/पी.एम.जी.एस.वाई., लो0नि0वि0, लखनऊ ।
6- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तर प्रदेश ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ ।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 लखनऊ ।
9- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तर प्रदेश ।
10- निदेशक, अन्वेषालय, लो0नि0वि0, लखनऊ ।
11- समस्त अधिशासी अभियन्ता/कार्य अधीक्षक, लो0नि0वि0, उत्तर प्रदेश ।
12- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ ।
13- प्रमुख अभियन्ता (विकास), लो0नि0वि0, लखनऊ की गार्ड फाईल हेतु ।
14- प्रमुख अभियन्ता (परिकल्पना एवं नियोजन), लो0नि0वि0, लखनऊ की गार्ड फाईल हेतु ।

अधीक्षण अभियन्ता (सामान्य)
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
लो0नि0वि0, लखनऊ

पत्रांक:5585एमटी/60 एमटी/2006 दिनांक-19.07.2006(का संलग्नक)

## परिपत्र

प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के अधीन मार्गो पर भविष्य में रोड साईनेज एवं थर्मो प्लास्टिक रोड मार्किंग के कार्यो का सम्पादन निम्न प्रकार कराया जायेगा -

(क) **रोड मार्किंग कार्य** :- (Hot Applied Thermo Plastic Road Marking)

थर्मो प्लास्टिक रोड मार्किंग के कार्य केवल अनुभवी ठेकेदारों के माध्यम से जिनको इस प्रकार के कार्य का अनुभव व ज्ञान हो एवं जिनके पास इस कार्य हेतु आवश्यक मशीनरी हो, से ही कराया जायेगा एवं इस कार्य में प्रयुक्त सामग्री एवं कार्य की विशिष्टियॉ एम.ओ.आर.टी.एच. की विशिष्टि संख्या 803.4 के अनुसार होंगी ।

कार्यो के सम्पादन में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एम.ओ.आर.टी.एच. की विशिष्टियों के अनुच्छेद सं0-803.4.3.2 (v) के अनुसार प्रयुक्त सामग्री के प्रत्येक कन्टेनर का रिकार्ड ठेकेदार द्वारा रखा जायेगा, जिसमें निम्नांकित सूचना आवश्यक होगी -

(1) नाम, ट्रेड मार्क तथा निर्माता की पहचान के चिन्ह

(2) बैच संख्या

(3) उत्पादन की तिथि

(4) रंग (सफेद या पीला)

(5) अधिकतम लेईंग तापमान तथा अधिकतम सुरक्षित गर्म करने का तापमान

कार्य का सम्पादन कराने वाले ठेकेदारों द्वारा एम.ओ.आर.टी.एच. की विशिष्टियों के अनुच्छेद सं0-803.4.3.2 (v) के अनुसार पेन्ट निर्माता का सामग्री परीक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। खण्ड के अभियन्ता पेन्ट की गुणवत्ता की जॉच स्वतन्त्र से भी करायेंगे ।

उपरोक्त को सुनिश्चित करने के लिये सम्पादित कार्य का अन्तिम भुगतान करने से पूर्व अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा माप पुस्तिका एवं देयकों पर यह प्रमाण-पत्र अंकित किया जायेगा कि 'प्रयुक्त सामग्री विशिष्टियों के अनुरूप ही है इसका रिकार्ड माप पुस्तिका में अंकित कर दिया गया है तथा प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता के सम्बन्ध में निर्माता कम्पनी के परीक्षण प्रमाण-पत्र ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत कर दिये गये हैं, जिनका विवरण भी माप-पुस्तिका में अंकित है' । इस प्रमाण-पत्र को प्राप्त करने के पश्चात अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वयं गुण्वत्ता से सन्तुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा ।

बिटुमिनस सरफेसिंग के कम से कम 45 दिन के अन्तराल के बाद ही थर्मोप्लास्टिक पेन्ट से रोड मार्किंग का कार्य कराया जायेगा। अत: उक्ति शिड्यूल का पालन अनिवार्य होगा ।

(ख) **रोड साईनेज का कार्य -**

भारत सरकार के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने रोड साईनेज के कार्य को अपने कार्यालय आदेश संख्या -डी.जी.डब्लू/मैन/119 दिनांक 05.01.2005 द्वारा स्पेशिलाईज्ड कार्य की श्रेणी में रखा है। विभाग

के विभिन्न अधिकारियों द्वारा भी इस कार्य को 'स्पेशिलाईज्ड वर्क' की श्रेणी में रखने तथा भविष्य में इस कार्य को स्पेशिलाईज्ड फर्मो के माध्यम से ही कराये जाने की संस्तुति की है।

अत: भविष्य में इन कार्यों को निम्न प्रकार से ही सम्पादित कराया जायेगा ।

1- कार्यो के स्वीकृत आगणन में कुल प्रावधानित लागत रू0 2.00 लाख अथवा उससे कम होने की स्थिति में रोड साईनेज के कार्य पूर्व प्रचलित प्रथा के अनुसार ही कराये जायेंगे, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरादायित्व सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता का होगा ।

2- कार्यो के स्वीकृत आगणन में रोड साईनेज के कुल कार्य की स्वीकृत लागत रू0 2.00 लाख से अधिक होने की स्थिति में रोड साईनेज कार्य केवल रोड साईनेज कार्य हेतु पंजीकृत ठेकेदारों से ही कराया जायेगा। रोड साईनेज के कार्य हेतु ठेकेदारों का पंजीकरण उसी प्रकार अलग से होगा, जिस प्रकार भवन, मार्ग एवं सेतु कार्यो के लिये पृथक-पृथक ठेकेदारों का पंजीकरण होता है । रोड साईनेज कार्यो के लिये ठेकेदारें का पंजीकरण पूरे प्रदेश के लिये प्रादेशिक स्तर पर केवल मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-2) के द्वारा ही किये जाने की व्यवस्था की जायेगी। पंजीकरण हेतु ठेकेदारों की पात्रता निम्नवत होगी -

(अ) ठेकेदारों को पंजीकरण नियमावली के अनुसार विभाग में मार्ग कार्यो हेतु 'ए' श्रेणी में पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेजों एवं अर्हताओं को पूरा करना अनिवार्य होगा ।

(ब) रोड साईनेज कार्यो हेतु ठेकेदार को निम्नांकित में से किसी एक कम्पनी का नेशनल कनर्वटर होना अनिवार्य होगा ।

(स) ठेकेदार के पास रेट्रोरिफ्लेक्टिव साईन बोर्ड की शीटिंग को एल्यूमीनियम शीट पर विधिवत लगाने के लिये आई0एस0ओ0 प्रमाणित कार्यशाला का होना अनिवार्य होगा ।

कार्य के सम्पादन हेतु निविदा में सक्षम अधिकारी पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नांकित शर्तो को पूरा करने का प्रतिबन्ध कार्य के महत्व एवं लागत को दृष्टिगत रखते हुये अतिरिक्त शर्तो के रूप में लगायेगें।

निविदा में भाग लेने हेतु ठेकेदार द्वारा विगत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष निम्नांकित न्यूनतम अर्हताओं को पूरा करना अनिवार्य होगा -

(क) ठेकेदार ने विगत तीन वर्षो में कम से कम 2 वर्षो में प्रत्येक वर्ष निविदा में कार्य की लागत के 80 प्रतिशत लागत के समकक्ष कम से कम 2 कार्यो को संतोषजनक रूप से पूर्ण किया हो ।

(ख) ठेकेदार का वार्षिक टर्न ओवर विगत वर्षो निविदा मे कार्य की लागत के 80 प्रतिशत से कम नही होना चाहिये ।

**कार्य की विशिष्टियॉ -**

कार्य की विशिष्टियॉ एम.ओ.आर.टी.एच. की विशिष्टियों के अनुच्छेद सं0 801.3 के अनुसार होगी। सम्पादित कार्य में प्रयुक्त रेट्रो सिफ्लेक्टिव शीटिग के सम्बन्ध में ठेकेदार द्वारा एम.ओ.आर.टी.एच. की विशिष्टियों के अनुच्छेद सं0 801.3.11 के अनुसार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा ।

**कार्य की दर -** सम्पादित कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य/मद की विभागीय दर से गणना एम.ओ.आर.टी.एच. के स्केल्टन के आधार पर की जायेगी ।

**विशेष :-**

(1) रोड साईनेज का कार्य करने से पूर्व सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा यह स्वयं चेक किया जायेगा कि किसी-किस ग्रेड की रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीेंटिग की आवश्यकता है। शीट का ग्रेड साईनेज की लोकेशन महत्ता व ऊॅचाई तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगा ।

(2) प्रत्येक ओवर हेड/केन्टीलीवर/बोलार्ड अथवा अन्य रेट्रो रिफ्लेक्टिव साईन बोर्ड के पीछे मार्ग का नाम, अनुबन्ध सं0 एवं ठेकेदार का नाम 10 एम.एम. साईज में अंग्रेजी में इन्ग्रेव किया जाना अनिवार्य होगा ताकि भविष्य में खराब परफॉरमेन्स के लिये ठेकेदार के विरूद्व तत्परता से कार्यवाही की जा सके ।

(3) यदि किसी सम्पादित कार्य की गुणवत्ता वारन्टी अवधि में ही घटिया पाई जाये तो सम्बन्धित ठेकेदार को काली सूची में दर्ज करने के लिये सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता तत्काल पंजीकरण करने वाले अधिकारी का लिखित रूप से सूचित करेंगे ।

(4) वारन्टी अवधि का तात्पर्य इंजीनियरिंग ग्रेड रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीेंटिग वाले कार्य के लिये 7 वर्ष होगी। (एम.ओ.आर.टी.एच. की विशिष्टियों के अनुच्छेद सं0 801.3.11 के अनुसार)

(5) वारन्टी अवधि में ठेकेदार द्वारा सम्पादित कराये गये कार्य की लागत के 5 प्रतिशत के बराबर धनराशि खण्ड में जमानत के रूप में बंधक रहेगी ।

**(ग) रेज्ड रिफ्लेक्टिव पेवमेन्ट मार्कर (आर0आर0पी0एम0):-**

रेज्ड रिफ्लेक्टिव पेवमेन्ट मार्कर (आर.आर.पी.एम.) कर आपूर्ति एंव फिक्सिंग हेतु ठेकेदार की श्रेणी एवे विभिन्न श्रेणी में पंजीकरण हेतु अहर्ताये रोड साईनेज मद में दिये गये विवरण के अनुसार ही होगी।

**रेज्ड रिफ्लेक्टिव पेवमेन्ट मार्कर हेतु विशिष्टियॉ :-**

(1) रेज्ड रिफ्लेक्टिव पेवमेन्ट मार्कर के रंग व संख्या का चयन आवश्यकतानुसार अधीक्षण अभियुन्ता द्वारा किया जायेगा ।

(2) रेज्ड रिफ्लेक्टिव पेवमेन्ट मार्कर हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेन्ट पॉलीमर से निर्मित बॉडी व लेन्सेस ही होगी ।

(3) रेज्ड रिफ्लेक्टिव पेवमेन्ट मार्कर की फिक्सिंग मार्ग की सतह के ऊपर हाट मेल्ट बिटुमिनस ऐडहेसिव से थर्मो स्टेट नियंत्रित एप्लीकेटर द्वारा ही की जायेगी ।

(4) रेज्ड रिफ्लेक्टिव पेवमेन्ट मार्कर की गुणवत्ता ए.एस.टी.एम. डी 4280 के अनुसार होगी ।

**<u>(घ) डिलीनियेटयर्स :-</u>**

डिलीनियेटर्स के कार्य कराये जाने हेतु ठेकेदारों की श्रेणी व अर्हतायें रोड साईनेज में दिये गये उपरोक्त विवरण के अनुसार होगी ।

**<u>डिलीनियेटर्स के कार्य की विशिष्टियॉ :-</u>**

(1) डिलीनियेटर्स के प्रयोग में आने वाले रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीट के रंग व ग्रेड का चयन सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा किया जायेगा ।

(2) रंगीन रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीट के स्थान पर स्क्रीन पद्धति पर बने विभिन्न रंग वाले डिलीनियेटर्स को वरीयता दी जयेगी ।

(3) डिलीनियेटर्स 45 x 45 x 3 एम0एम0 माईल्ड स्टील पाईप से निर्मित होगा, जिसकी लम्बाई 900 एम0एम0 तथा जिस पर एन्टी रस्ट काले रंग का पाउडर्ड कोटिंग होना आवश्यक है ।

(4) डिलीनियेटर्स माईल्ड स्टील पाईप के चारों पटों पर 40 x 225 एम0एम0 की दो विभिन्न रगों की रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीट लगाकर निर्मित होगें, इस प्रकार चारों पटों पर 450 एम0एम0 लम्बी रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीट लगाई जायेगी ।

(5) रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीट की गुणवत्ता एम.ओ.आर.टी.एच. की विशिष्टियों के अनुच्छेद सं0 801.3 के अनुसार होगी तथा ठेकेदार को रोड साईनेज की पद्धति के अनुसार ही एम.ओ.आर.टी.एच. की विशिष्टि संख्या 801.3.11 के अनुसार वारण्टी देना अनिवार्य होगा ।

(बद्री विशाल त्रिपाठी)
प्रमुख अभियन्ता
(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लो0नि0वि0, लखनऊ